

प्रेस नोट दिनांक 27.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना-कंधई, जनपद- प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ में गौतस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही, मुठभेड़ में एक घायल, तीन गिरफ्तार— अवैध मांस, हथियार व वाहन बरामद

थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमसोना के पास जैतीपुर में थाना कंधई पुलिस से हुई मुठभेड़ में 01 शातिर गौतस्कर अभियुक्त के पैर में लगी गोली एवं मौके से 03 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार ।

घायल हसमतुल्लाह उर्फ लक्खू उपरोक्त को उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय बेलखरनाथ भेजा गया था, जहां से डॉक्टर द्वारा घायल को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर किया गया ।

शातिर अभियुक्तों पर जनपद के थाना कंधई में गोवध निवारण अधि० व पशु क्रूरता अधि० जैसे संगीन अपराधों में अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त हसमतुल्लाह उर्फ लक्खू के कब्जे से 1 अदद तमचा 315 बोर, 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस बरामद किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को रात्रि को ASP(E) श्री शैलेन्द्र लाल व CO पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व मे थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति प्रतिबंधित गोवंश का मांस मोटरसाइकिलों से लेकर जैतीपुर ऊसर की ओर जा रहे हैं । प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हुए एवं पुलिस टीम द्वारा थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमसोना के पास जैतीपुर में संदिग्ध दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया ।

उसी दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी । आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त हसमतुल्लाह उर्फ लक्खू उम्र 38 वर्ष पुत्र सोबराती निवासी रामपुर कुर्मियांन थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के बाएं पैर में लगी गोली एवं मौके से 03 अन्य अभियुक्तों, मुस्तकीम उर्फ कल्लू उम्र 45 वर्ष पुत्र हसन निवासी कंधई हनुमानगंज थाना कंधई प्रतापगढ़, अनीश पुत्र अब्दुल मोहिद निवासी मुबारकपुर थाना कंधई प्रतापगढ़, मुजीब पुत्र सोबराती उम्र 35 वर्ष निवासी रामपुर कुर्मियांन थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है ।

घायल हसमतुल्लाह उर्फ लक्खू उपरोक्त को उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय बेलखरनाथ भेजा गया था, जहां से डॉक्टर द्वारा घायल को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर किया गया । घायल अभियुक्त हसमतुल्लाह उर्फ लक्खू के कब्जे से 1 अदद तमचा 315 बोर, 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस बरामद किया गया ।

शातिर अभियुक्तों पर जनपद के थाना कंधई में गोवध निवारण अधि० व पशु क्रूरता अधि० जैसे संगीन अपराधों में अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 80 किलो गोवंश का मांस, 01 चापड़ लोहे, 01 चाकू लोहे, 02 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त हसमतुल्लाह उर्फ लकखू के कब्जे से 1 अदद तमचा 315 बोर, 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना कंधई में मु०अ०सं० 118/2025 धारा 3(5), 109(1) भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गोवध निवारण अधि० बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

01- घायल अभियुक्त हसमतुल्लाह उर्फ लकखू उम्र 38 वर्ष पुत्र सोबराती निवासी रामपुर कुर्मियांन थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 270/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त मुजीब पुत्र सोबराती उम्र 35 वर्ष निवासी रामपुर कुर्मियांन थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 300/2008 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़।

02. मु०अ०सं० 270/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़।

03. मु०अ०सं० 528/2010 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़।

04. मु०अ०सं० 128/2000 धारा 5/8 गोवध निवारण अधि० व 201 भादवि थाना कंधई, प्रतापगढ़।

05. मु०अ०सं० 151/2009 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़।

03- अभियुक्त अनीश पुत्र अब्दुल मोहिद निवासी मुबारकपुर थाना कंधई प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 300/2008 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में भी गोवध, पशु क्रूरता, अवैध हथियारों का प्रयोग व संगठित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत रहे हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा पशु चोरी व गोवध जैसे अपराधों के विरुद्ध निरंतर कठोर अभियान चलाया जा रहा है। पशु पालकों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनके पशुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क एवं कृतसंकल्प है। ऐसे अपराधियों की जनपद में कोई जगह नहीं है।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 01 मोटर साइकिल व 04 अवैध देशी बम बरामद

चोरी के अभियोग में 01 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया,

शातिर अभियुक्त पर जनपद के थाना कोतवाली नगर में लूट, चोरी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, अपहरण, हत्या का अपराध जैसे संगीन कुल 15 अपराध पंजीकृत हैं

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान के पास अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना स्थल का विवरण-

दिनांक 21.05.2025 को वादी की मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिला अस्पताल परिसर प्रतापगढ़ से चोरी कर ली थी। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 226 /25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में स्पेशल टीम- प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार पांडे मय हमराही उप निरीक्षक अरविंद सिंह, का0 राहुल यादव, का0 सुनील यादव, का0 बृजेश सिंह, का0 वीरेंद्र यादव व का0 चालक कुंवर मोहन सिंह व उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह का0 मनोज कुमार व का0 शिवम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 226/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर से संबंधित 01 अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ सफर पुत्र कमलेश बहादुर सिंह निवासी फुलवारी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को चोरी की 01 मोटरसाइकिल अपाचे व 04 अदद नाजायज देशी बम के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल अपाचे व 04 अदद नाजायज देशी बम बरामद किया गया है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/318(4)/336 (2) BNS व 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल को जिला अस्पताल परिसर प्रतापगढ़ से चुराया है। जिसका नंबर प्लेट बदलकर मैं चला रहा था। गाड़ी को बेचने के फिराक में था। मोटरसाइकिल चोरी व छोटे-मोटे अपराध करके अपना खर्चा चलता हूं। बम को हम डराने धमकाने के लिए अपने पास में रखते हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम सिंह उर्फ सफर पुत्र कमलेश बहादुर सिंह निवासी फुलवारी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ सफर पुत्र कमलेश बहादुर सिंह निवासी फुलवारी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 34/2017 धारा 3(25)/34/379/392/412/419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 93/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 190/2024 धारा 25(3)/379/411 471 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 264/2020 धारा 504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 291/2017 धारा 363/506 भादवि 1860 थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 346/2017 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 374/2024 धारा 303(2)/317(2)/336(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 380/2017 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 388/2017 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 389/2017 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 390/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
12. मु0अ0सं0 598/2017 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
13. मु0अ0सं0 1006/2016 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
14. मु0अ0सं0 3888/2017 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।
15. मु0अ0सं0 226/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/326(2) बीएनएस व 4/5 बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।

बरामदगी का विवरण- 01. चोरी की 01 मोटरसाइकिल अपाचे व 04 अदद नाजायज देशी बम बरामद किया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह का0 मनोज कुमार व का0 शिवम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

स्पेशल टीम- प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार पांडे मय हमराही उप निरीक्षक अरविंद सिंह, का0 राहुल यादव, का0 सुनील यादव, का0 बृजेश सिंह, का0 वीरेंद्र यादव व का0 चालक कुंवर मोहन सिंह ।

बयान- जनपद में अपराध व आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसकी गिरफ्त से चोरी की मोटरसाइकिल एवं 04 अवैध देशी बम बरामद किए गए हैं। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अत्यंत गंभीर है और वह पूर्व में भी कई संगीन वारदातों में संलिप्त रहा है।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस की अवैध शराब एवं शराब बनाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार शराब बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा की गई शराब बनाने वालों पर की गई कार्यवाही

थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी, अपमिश्रित शराब बनाने/ बेचने वाले 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार,

मौके से 02 अदद प्लास्टिक के बाल्टी में 10-10 ली0 कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद, मौके पर 100 किलो लहन को नियमानुसार कराया गया नष्ट

अभियुक्तगण को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खलहिया हण्डौर से गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों, आगामी त्योहार के दृष्टिगत अवैध शराब निष्कर्षण/ विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अरुण सिंह के नेतृत्व में,

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 महेश यादव व म0उ0नि0 ज्योति सिंह द्वारा आज दिनांक- 27.05.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों, 1. धीरज सरोज पुत्र विशेषर सरोज निवासी ग्राम खलहिया हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ 02. 01 अभियुक्ता को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खलहिया हण्डौर से 02 प्लास्टिक की पिपिया/ बाल्टी में 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर कच्ची शराब बनाने की भट्टी व उपकरण बरामद किया गया। साथ ही 100 किलो लहन नियमानुसार सावधानी पूर्वक नष्ट कराया गया।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

01. धीरज सरोज पुत्र विशेषर सरोज निवासी ग्राम खलहिया हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

02. 01 अभियुक्ता।

बरामदगी का विवरण-02 प्लास्टिक की बाल्टी/ गैलन में कुल 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद

02. शराब बनाने के भट्टी व उपकरण बरामद। 03. कुल 100 किलो लहन।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 महेश यादव व म0उ0नि0 ज्योति सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

उ0नि0 अजीत सिंह व बीट आरक्षी विकास जायसवाल की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अजीत सिंह व बीट आरक्षी विकास जायसवाल ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

उ0नि0 अजीत सिंह व बीट आरक्षी विकास जायसवाल ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अजीत सिंह व बीट आरक्षी विकास जायसवाल को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जनपद भभुआ कैमूर (बिहार) में अभियुक्त के घर के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गोवध अधि0, पशु क्रूरता अधि0, धौखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ0नि0 अजीत सिंह व बीट आरक्षी विकास जायसवाल के सहयोग से थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 100/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र शिव बचन निवासी कुलहड़िया थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमूर राज्य बिहार उम्र 35 वर्ष को जनपद भभुआ कैमूर (बिहार) अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राकेश कुमार पुत्र शिव बचन निवासी कुलहड़िया थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमूर राज्य बिहार उम्र 35 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 3/5/8 गो0वध नि0 अधि0 व 11(1) पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 419, 420, 465 भादवि थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 100/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

दूल्हा व बारातियों को जान से मारने की धमकी एवं रंगदारी मांगने वाले 6 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार- कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बदलावन का पुरवा स्थित श्याम स्वाद ढावा के पास से गिरफ्तार किया गया।

वादी की पुत्री की शादी अन्यत्र तय होने पर अभियुक्तों ने दूल्हा व बारातियों को जान से मारने की धमकी दी और 10 लाख रुपये की मांग की।

संक्षिप्त घटना का विवरण-

दिनांक 26.05.2025 को वादी की पुत्री की शादी अन्यत्र करने पर अभियुक्तों द्वारा दुल्हा तथा बारातियों को जान से मार डालने की धमकी देना अथवा इसके बदले में 10 लाख रुपये नगद देने की मांग की गई। जिसके सम्बंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0- 137/2025 धारा 308 (5), 351(3), 3(5) बीएनएस बनाम 06 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, हे0का0 अशोक कुमार यादव, का0 भूपेन्द्र सिंह, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 अभिषेक त्रिपाठी, पीआरडी आनन्द मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 137 /2025 धारा- 308(5), 351(3), 3(5) बीएनएस में वांछित 06 अभियुक्तों, 1. आनन्द गौतम पुत्र ज्ञानचन्द्र गौतम उम्र 20 वर्ष, 2. विकेश यादव पुत्र उदयभान यादव उम्र 26 वर्ष निवासीगण बदलावन का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 3. पंकज गुप्ता पुत्र भोलानाथ गुप्ता उम्र 21 वर्ष, 4. आसिफ अहमद पुत्र वकील अहमद उम्र 21 वर्ष, 5. मान सिंह यादव पुत्र राममूरत यादव उम्र 21 वर्ष निवासीगण ग्राम काजीपुर करम हुसैन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 6. नीरज गौतम पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी इटौरा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बदलावन का पुरवा स्थित श्याम स्वाद ढावा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- आनन्द गौतम पुत्र ज्ञानचन्द्र गौतम उम्र 20 वर्ष निवासी बदलावन का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

02- विकेश यादव पुत्र उदयभान यादव उम्र 26 वर्ष निवासी बदलावन का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

03- पंकज गुप्ता पुत्र भोलानाथ गुप्ता उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम काजीपुर करम हुसैन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

04- आसिफ अहमद पुत्र वकील अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम काजीपुर करम हुसैन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

05- मान सिंह यादव पुत्र राममूरत यादव उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम काजीपुर करम हुसैन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

06- नीरज गौतम पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी इटौरा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, हे0का0 अशोक कुमार यादव, का0 भूपेन्द्र सिंह, हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 अभिषेक त्रिपाठी, पीआरडी आनन्द मिश्रा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी सफलता – टप्पेबाजी के शातिर अन्तरजनपदीय अभियुक्त को देल्हूपुर क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस की तत्परता: पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु दिए गए निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराधिक इतिहास: अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न जनपदों में आर्म्स एक्ट व टप्पेबाजी से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर से किया गया गिरफ्तार

घटना स्थल का विवरण-

दिनांक 23.05.2025 को वादी ओम गैस इण्डेन गैस सर्विस के शोरूम से गोदाम स्थित बराछा जा रहा था कि कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत कुमार पैलेस सदर बाजार के पास एक मोटरसाइकिल से 02 व्यक्ति आये और वादी से बोले कि हमारे पापा आपको बुला रहे हैं । वादी उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ कर सदर मोड से आगे डॉ0 खंडेलवाल के सामने गए तो मोटर साइकिल वाले बोले कि पापा यहां नहीं दिख रहे हैं लग रहा चले गए है एवं कहकर वापस मोड़कर उन्हें उतारकर घंटाघर की तरफ चले गए । वादी ने अपनी पैंट की बगल वाली जेब में देखा तो उसमें रखे 7380.00 रुपयों को व्यक्तियों द्वारा काटकर निकाल लिये । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस बनाम मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया था । स्थानीय पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक व मैनुअल संकलित साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज के आधार घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जयचंद भारती के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 योगेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर से संबंधित 01 अभियुक्त राजकुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी वर्तमान पता- वार्ड नं0 05 शंकर दयाल नगर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात व स्थायी पता - रनियाडेरा, पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजकुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी वर्तमान पता- वार्ड नं0 05 शंकर दयाल नगर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात व स्थायी पता - रनियाडेरा, पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी वर्तमान पता- वार्ड नं0 05 शंकर दयाल नगर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात व स्थायी पता-रनियाडेरा, पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात का अपराधिक इतिहास:-

01- मु0अ0सं0 362/2019 धारा 294 भादवि थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।

02- मु0अ0सं0 444/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

03- मु0अ0सं0 446/2022 धारा 401 भादवि थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

04-मु0अ0सं0 222/2025 धारा 303 (2), 317(2), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 योगेश यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।